हरिजन एक्ट का दुरूपयोग बिगाड़ रहा सामाजिक तानाबाना

फ़रीदाबाद (म.मो.) समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मान सम्मान को बनाये रखने के लिये ठीक ही एक विशेष एक्ट का निर्माण किया गया था। परन्तु राजनेताओं तथा पुलिस के गठजोड़ ने इसका इस्तेमाल समाज के मूलभूत तानेबाने को तोड़ने में कर रखा है इसका एक ताज़ातरीन उदाहरण स्थानीय महिला थाने में देखने को मिला। एसजीएम नगर निवासी एवं दिल्ली के पुलिसकर्मी चतरसेन ने अपनी (चमार) जाति का नाजायज़ लाभ उठाने के लिये इस थाने में एक दरखास्त अपनी बेटी से दिलवाई है। इसमें ललित जोशी नामक एक 19 वर्षीय लड़के पर आरोप लगाया गया है कि उसने दिनांक 28 अक्टूबर की शाम को मुहल्ले में घूमते वक्त उसे जातिसूचक शब्द कहे व भद्दी गालियां दीं। बड़ी-बड़ी बातों पर सक्रिय न होने वाली पुलिस इस शिकायत पर एकदम सक्रिय हो उठी और आरोपी को तलब कर लिया।

थाने आकर आरोपी ने बताया कि चतरसेन के परिवार से उनका झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से चतरसेन के 26 वर्षीय लड़के कमल उर्फ़ इन्द्रजीत के विरुद्ध थाना एसजीएम नगर में दो एफ़आईआर (नं. 341 व 342) 16 अगस्त 2015 की दर्ज हैं। एफ़आईआर 342 में तो उसकी जमानत हो गयी थी जबकि 341 में वह अभी तक अन्दर है। आरोपी ललित ने यह भी बताया कि झगड़े के डर से वह फ़रीदाबाद छोड़ कर सिकंदराबाद (उत्तर प्रदेश) में अपने मौसी के यहां रहने लगा है। थाने में दर्ज उक्त दोनों मुकदमों की ओर ध्यान देने के बजाय महिला थाने की अधिकारी ने कहा कि गाड़ी ले आओ, सिकंदराबाद जाकर तसदीक करेंगे। इस पर आरोपी ने कहा कि वह बहुत ग़रीब है, गाड़ी के बजाय रेलगाड़ी का ही किराया खर्च कर सकता है। जाहिर है ऐसा जवाब पुलिसवालों को अटपटा लगा तो वे हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं।

(समाचार लिखते-लिखते पता चला है कि महिला थाने की एक अधिकारी ललित के दावे की तसदीक करने सिकन्दराबाद यू.पी. 13 तारीख को पहुंच गई।)

संदर्भवश उक्त दोनों मुकदमों (341,342) को भी जान लेना जरूरी है। ललित व कमल उर्फ़ इन्द्रजीत की मौसेरी बहन आठवीं कक्षा तक एसजीएम नगर के स्कूल में एक साथ पढते थे। इस नाते कभी-कभार बातचीत कर लेते थे। कमल इसे पसंद नहीं करता था। कमल के कहने पर ललित ने तो लड़की से बोलना छोड़ दिया लेकिन लड़की ने नहीं छोड़ा। ललित के घर वालों ने कमल के परिवार से कहा कि अपनी लड़की को समझाओ। इसी दौरान 14.8.15 को इस लड़की की कोई नाबालिग सहेली उसे जन्म दिन पर मिलने आ गयी तो कमल को कुछ ग़लतफ़हमी हो गयी। कमल ने इसी गलतफ़हमी में नाबालिग लड़की को गली में घसीट-घसीट कर मारा-पीटा। इस पर उसके खिलाफ़ 'पॉक्सो' एक्ट के तहत मुकदमा नं. 341 दर्ज हो गया और अभी तक अन्दर है।

मुकदमा दर्ज होने व गिरफ़्तारी से पूर्व कमल ने उसी रात करीब 11 बजे ललित के घर पर 6-7 आदमी लेकर हमला कर दिया। घर में वह और उसकी मां ही थे। घर के दरवाज़े तोड़ कर भीतर घुसे इन लड़कों की पिटाई से ललित की मां इतनी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी कि बीके अस्पताल ने उन्हें सफ़दरजंग के लिये रैफ़र कर दिया। लेकिन जान बचाने के लिये वह सेक्टर 19 स्थित सर्वोदय अस्पताल में दाखिल रही, 5 दिन आईसीयू में तथा 5 दिन वार्ड में। एक लाख का बिल बन गया। इस पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323,506,452 व 34 के अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 342 दर्ज कर लिया।

सांप की रस्सी और रस्सी का सांप बनाने में महिर पुलिस

थाना एसजीएम नगर पुलिस ने आरोपी पक्ष के दबाव में इस केस को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के अन्तर्गत लिखे मुदई पक्ष के असल बयानों को फ़ाड़ कर दोबारा इस प्रकार से लिखे कि दोषी साफ़ बरी हो जायें। इसके लिये तफ़्तीशी पुलिस अधिकारी को अधिक कुछ नहीं करना पड़ा; केवल एफआईआर में लिखायें गये बयान के उलट ही लिखना था जो उसने लिख दिया। उधर 2 आरोपियों से तफ़्तीशी ने यह कहलवा लिया कि केवल उन दोनों ने ही सारी वारदात को अन्जाम दिया था। इसके आधार पर शेष 6 दोषी तो पाक साफ़ हो ही गये और सामुहिक हमले की धारा 148-149 से भी बच गये।

पुलिस कमिश्नर सुभाष यादव काफ़ी ईमानदार अधिकारी समझे जाते हैं; परन्तु उनकी इस ईमानदारी का आम आदमी को क्या लाभ जब थाने वालों ने रिश्वत खा कर तफ़्तीशों को तोड़-मरोड़ कर ही पेश करना है?

बिना जज के चलती अदालत हाईकोर्ट ने मारा छापा

फ़रीदाबाद (म.मो.) श्रमिकों के कम्पनियों के साथ चल रहे मुकदमों को निपटाने के लिये यहां पर 3 श्रम-अदालतें हैं। तीनों सेक्टर 15 ए (पुराने डी सी कार्यालय) में स्थित हैं। इनमें से एक में सैशन जज स्तर की अधिकारी डॉ. नीलमा सांगला तैनात हैं। वे भगवान की भक्ति में इतनी विलीन रहती हैं कि अक्सर कोर्ट नहीं आती।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ को सूचना मिली कि जज साहिबा 16 अक्टूबर से भगवान भक्ति करने माऊंट आबू गयी हुई हैं। 'प्रभु कृपा' से उनके स्टैनो, अहलमद व अन्य स्टाफ़ उनकी गैरहाज़िरी में भी बाकायदा कोर्ट चला रहे हैं। बाकायदा रोज़मर्रा की तरह फ़ाइलें निपटाई जा रही हैं। गवाहियां लिखी जा रही हैं, जिमनी आर्डर लिखे जा रहे हैं। लेकिन जज साहिबा के हस्ताक्षरों के बिना। हाई कोर्ट हरकत में आई। 6 नवम्बर को हाईकोर्ट विजिलेंस ने छापा मारा। सूचना सही पाई गयी। करीब 350 फ़ाइलें ऐसी पाई गयीं जिन पर रोजमर्रा की कार्यवाही तो लिखी है परन्तु जज साहिबा के दस्तखत नहीं हैं। इन फ़ाइलों को विजिलेंस टीम अपने साथ चंडीगढ ले गयी। मामले की सुनवाई के लिये हाई कोर्ट ने स्टैनो व अहलमद को सुनवाई के लिये 16 नवम्बर को चंडीगढ तलब किया है।

जानकार बताते हैं कि नीलमा सांगला हरियाणा के वरिष्ठतम सैशन जजों में से एक हैं। यदि सब कुछ ठिक-ठाक चलता रहता तो वे हाई कोर्ट जज बनने के करीब थी।

श्रमिकों के मुकदमें लड़ने वाले हिन्द मज़दूर सभा के नेता एवं वकील उमेश गुप्ता का कहना है कि डॉ. सांगला अब तक की सबसे बेहतरीन जज रही हैं। उन जजों का क्या करलें जो हाजिर रह कर भी फली नहीं. फोड़ते, खाली तारीख पर तारीख देते रहते हैं? जितना काम फ़ाइलों पर उनकी ग़ैरी हाज़िरी में होता था, उसमें जज ने कुछ नहीं करना होता। दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष के काग़ज़ात फ़ाइलों पर लगाते हैं, अपने-अपने बयान लिखाते हैं। यदि किसी मामले पर मतभेद हो तो उसे जज साहिवा के आने तक रोक लिया जाता है। किसी भी केस का अन्तिम फ़ैसला करने से पूर्व दोनों पक्षों की बहस वे खुद सुनती हैं और हमेशा सही निर्णय करती हैं। कुछ वकिलों का यह भी कहना है कि ज़िला अदालतों में कितने जज अपने सामने गवाही कराते हैं? जज साहब बहस सुन रहे होते हैं, तीन-तीन जगह गवाहियां लिखी जा रही होती हैं।

वैसे कुल मिला कर यह बड़ा ही विचित्र एवं विचारणीय मामला है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था चलाने वालों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिये कि जजों से क्लर्की कराने की अपेक्षा उनके समय का बेहतरीन उपयोग कैसे किया जा सकता है।

स्मार्ट-सिटी टैक्स के लिये तैयार रहें शहरवासी

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्वच्छता अभियान की नौटंकी करके तस्वीरें खिंचवाने के बावजूद देश की गंदगी तो रही ज्यों की त्यों, परन्तु उसके नाम पर अतिरिक्त टैक्स जरूर लगा दिया गया है। इसके बाद अब इस शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर शहरियों की जेब काटने की तैयारी पूरी कर ली गयी है।

शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर एक कम्पनी को भाड़े पर ले लिया गया है। एक स्थानीय गायिका रितु शर्मा को 'स्मार्टसिटी' की बैंड एम्बेसेडर नियुक्त किया जा रहा है। जाहिर है ये सब काम मुफ़्त में तो होने वाले है नहीं। इसके अलावा इसी नाम पर आये दिन सभायें व गोष्ठियों का तमाशा हो रहा है, वे भी तो मुफ़्त में नहीं हो रहे होंगे।

सवाल असली तो यह है कि शहर की सूरत बिगाड़ने वाले अवैध निर्माण, जाम का करण बनते बाजारों व गलियों में अवैध कब्ज़े क्या उक्त कम्पनी और ब्रैंड एम्बेसेडर हटायेंगे? सड़कों पर घूमते अवारा पशुओं को हटाने व सीवरेज के ढक्कन भी इन्हीं को लगाने होंगे? सत्तारूढ नेताओं व सरकारी मशीनरी द्वारा पूरी तरह बिगार दी गयी व्यवस्था को क्या ये दोनों ठीक कर देंगे? कदापि नहीं। यह सब तो थोड़े दिन का तमाशा है। स्मार्टसिटी के नाम पर जनता की जेब काटने का एक उपक्रम मात्र है।

एक शहर क्या पूरा ही देश स्मार्ट हो जाय यदि सरकारी भ्रष्टारचार एवं हरामखोरी बंद हो जाय और कायदे कानूनों का पालन करा दिया जाय। इसके लिये किसी अतिरिक्त टैक्स की जरूरत नहीं है और न ही किसी कम्पनी अथवा ब्रैंड एम्बेसेडर की।

पुलिस कमिश्नर का आदेश भी नहीं मानते

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मज़दूर मोर्चा' के दिनांक 1-15 अक्टूबर अंक में 'पुलिस-नेता गठजोड़, उदासीन अदालतें शिकार मकान मालिक' शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार सेक्टर 9 की कोठी नम्बर 67 पर, बडोली के दो गूजर भाइयों ने पुलिस व नेताओं के सहयोग तथा अदालतों की उदासीनता के चलते, कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आने के बाद पुलिस महकमे द्वारा कराई गयी एक जांच में अवैध कब्जे की बात सिद्ध भी हो गयी थी। लेकिन फ़िर भी उसे ठंडे बस्ते में डाल कर उक्त दोनों भाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आने के बाद डीसीपी बल्लबगढ ने मामले को ठंडे बस्ते से निकाला। कोठी मालिक को मुंबई से बुला कर उसका बयान लिखा। कुछ और काग़ज़ भी काले करे। उचित कानूनी कार्यवाही की बात भी चली। लेकिन सब काम फ़र्जीवाड़े से आगे नहीं बढ़ा। लगता है मामला फ़िर से ठंडे बसते में डाल दिया गया है।

इसका क्या मतलब समझा जाय, समझना कठिन है। मातहत कर्मचारी पुलिस कमिश्नर के आदेशों की परवाह नहीं करते या सत्तारूढ राजनेताओं का दबाव इतना बढ गया है कि पुलिस न्यायोचित कार्यवाही करने में असमर्थ है।

अनिवार्य मतदान का विरोध जरूरी

गुजरात सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करना अनिवार्य बनाते हुए मतदान न करने पर 100 रुपये जुर्माना भरने का प्रावधान तय कर दिया है। सरकार इस प्रावधान को और कड़ा बनाते हुए मतदान न करने वालों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित करने पर विचाररत है। हालांकि पहले सरकार का इरादा 500 रुपये जुर्माना तय करने का था पर विरोध की आशंका के मद्देनज़र इसे फ़िलहाल 100 रुपये रखा गया है। विकलांग, बीमार, 75 वर्ष से अधिक के वृद्ध, परीक्षा-इंटरव्यू में व्यस्त लोगों, शादी, अंकतम संस्कार या मेडिकल इमरजेंसी में फंसे लोगों, गुजरात में चुनाव वाले दिन नामौजूद लोगों, ट्रांसफर पर दूसरी जगह जा चुके कर्मचारियों आदि को इस प्रावधान से मुक्त रखा गया है।

अनिवार्य मतदान की मांग तभी से प्रमुखता से उठने लगी थी जब अदालत के आदेश पर नोटा का विकल्प शामिल कर लिया गया था। तब से सत्ताधारी भाजपा के आडवाणी से लेकर अन्य नेता इसकी वकालत करने लगे थे कि अब चूंकि जनता को प्रत्याशियों में से किसी को भी नहीं चुनने का हक मिल गया है अत: जनता के लिये मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए।

अब भाजपा सरकार गुजरात में इस प्रयोग को कर इसे बाकी जगहों पर लागू करने का प्रयास करेगी। इससे पूर्व तक सरकारें दूसरे तौर-तरीकों से मतदान को जरूरी साबित करने का प्रयास करती रही हैं। वे प्रचार माध्यमों, स्कूलों में, रैलियों आदि का इस्तेमाल कर मतदान को देशभक्ति या देशप्रेम का काम साबित करती रही है। हालांकि सरकार के भारी भरकम खर्च के बावजूद कभी आधी तो कभी 30-40 फीसदी जनता वोट डालने नहीं जाती रही है। वोट न डालने वालों में लाइन में खड़ा होने के बजाय छुट्टी मनाने वाले मध्यम वर्ग से लेकर मतदान के दिन भी रोजी कमाते मज़दूर, घर की चारदीवारी से कभी बाहर न जाने वाली औरतों से लेकर चुनाव नाटक में यकीन न करने वाले सचेत लोग सभी शामिल होते हैं।

अब गुजरात सरकार सबसे वोट डलवाने पर उतारू है। अब वोट डालना देशभक्ति का प्रचार नहीं, बल्कि वोट न डालना अपराध है, का प्रचार किया जायेगा। इस प्रावधान का खामियाजा गरीब मेहनतकश जनता भुगतेगी जिसके लिये 100 रुपये का जुर्माना या किसी सरकारी योजना से नाम कटना बड़ी बात होगी। इस भय से उसे मजबूरन वोट डालने जाना पड़ेगा। खाता-पीता मध्यम वर्ग या पूंजीपति वर्ग अभी भी आराम से 100 रुपये सरकार के मुंह पर मार छुट्टी मनायेगा।

यहां यह स्पष्ट रहे कि वोट डालने के अधिकार के साथ हमें अभी तक वोट ना डालने का अधिकार मिला था। अब सरकार इन दोनों अधिकार को रद्द कर वोट डालना मजबूरी बनाने पर तुली है। इस बहाने सरकार मत प्रतिशत बढ़ा कर लोकतंत्र पर जनता के विश्वास का ढिंढोरा पीटना चाहती है। साथ ही भाजपा यह महसूस करती है कि वोट न डालने वाला मध्यम वर्ग अगर वोट डालने आयेगा तो उसको ही वोट डालेगा। जनवाद के तमाम अन्य प्रावधानों के अपहरण की तरह फ़ासीवादी सोच से चलने वाली सरकार का यह कदम भी जनवाद को सीमित करता है। इसीलिए जरूरी है कि अपने वोट डालने या ना डालने के हक को वोट डालने की मजबूरी में बदलने से रोका जाय। अनिवार्य मतदान के खिलाफ़ खड़ा हुआ जाय।

नागरिक